

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 32/अ-82/19-20/हरदौली/5817

बैतूल दिनांक 25/6/2020

//घोषणा//

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	हरदौली	7.023	हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु

अनुसूची-(2)

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	गेंदया प्यारेलाल प्रेमलाल छोटेलाल सुंदरलाल व. कूपरचंद हीरा बेवा कूपरचंद नरबदी बेवा फूलचंद रामरती ना.बा.पिता बैजू वली मां नान्ही मेहरा भूमि पारडसिंगा	3	3.666	1.450
		5	0.364	0.364
2	सीताराम राजेश वल्द बीरबल जगोती बेवा बीरबल रामा वल्द झुम्मकलाल इमला पिता जगन्नाथ लक्ष्मी बेवा जगन्नाथ लक्ष्मण वल्द गेंदलाल रखिया बेवा गेंदलाल जिन्दालाल वल्द महपत भावजी वल्द महकू लडको बेवा महपत कुंबी	4/1	0.144	0.144
3	चैतराम वल्द शिवजी सरोपी बेवा शिवजी रमेश श्यामराव वल्द रोडक्या अजाबराव वल्द कैला कुंबी	7	0.324	0.324
		8	3.230	1.450
4	गबा लंगड़ा बाबू वल्द बाज्या श्यामा गजी व. बाज्या श्यामा वल्द सूखा सोनी बेवा सूखा सा.पारडसिंगा	24	1.424	1.424
5	मंसाराम, हंसु, दशन वल्द छितरू रमोसी, रामोती पिता छितरू लंकी बेवा छितरू, सुखदेव, सहादेव, महादेव वल्द ओझा, फुलवंती, भागवंती पिता ओझा, जैना बेवा ओझा जाति गायकी सा.देह भूमि स्वामि	29	0.713	0.713
6	पूर्णा बे. ढेपल्या, भादु व ढेपल्या भागा सावल नान्ही पिता ढेपल्या	36/2	1.102	0.160
7	दुल्या व साजू रेसुल तुलस कौशुल पिता साजू	38	1.518	0.670
8	खिमिया पति हीराजी चैती बेवा सावन्धा	39/1	0.324	0.324
	योग :-	10	12.809	7.023

25/6/2020

- (2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मूलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(राकेश सिंह)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

१

पृ0क0 32 अ-82/19-20/हरदौली/ 5817
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 25/6/2020

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल/पंचायत पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

अपर कलेक्टर

एवं प्र0अ0 भू-अर्जन, बैतूल